भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 983

उत्तर देने की तारीख : 13.12.2022

'सीड' योजना का कार्यान्वयन

983. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विमुक्त, घुमंतू, अर्धघुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड) के अंतर्गत सम्पूर्ण देश से इनके हितसाधन सम्बन्धी कितने ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 'सीड' के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों सहित सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम अनुमान क्या हैं;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समुदायों का ब्यौरा क्या है, जिनके कारण इस योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डीएनटी के विकास एवं कल्याण हेतु डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (एसईईडी) कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के लाभ तक वास्तविक लक्षित लाभार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने एसईईडी पोर्टल विकसित कर आवेदन के लिए सितम्बर, 2022 में खोला है। पोर्टल पर उपलब्ध लगभग 4700 आवेदनों को पोर्टल से निकाल जांच हेतु राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया है।

(ख) और (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

*****